

**E-Mail**

**बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)**

संचिका सं०- 02/भू०अ०नि० (1) यो०बजट (2023-24)-01/2023.....6712

प्रेषक,

**जय सिंह, भा० प्र० से०**  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

**जिला पदाधिकारी,**  
पटना।

पटना, दिनांक :- 30.08.23

**विषय :-** मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड- 27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि का आवंटन।

**प्रसंग :-** आपका पत्रांक 7877/गो० दिनांक 05.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में पटना सदर प्रखण्ड परिसर अन्तर्गत पूर्व से निर्मित भवन में जिला राजस्व एवं न्यायिक अभिलेखागार के अभिलेखों के संधारण हेतु लोहे एवं लकड़ी के रैक, जो पुराने अभिलेखागार में है, उसे काटकर/खोलकर नये भवन में मरम्मत कर पुनः रैक लगाने हेतु **8,35,400/- (आठ लाख पैतीस हजार चार सौ) रुपये मात्र** की राशि निम्न प्रकार पुनः आवंटित की जाती है :-

| क्र०सं०                                | विषय शीर्ष / ईकाई कोड        | जिला पदाधिकारी,<br>पटना |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1                                      | 2                            | 3                       |
| 01                                     | 27 02<br>अनुरक्षण एवं मरम्मत | 8,35,400                |
| (आठ लाख पैतीस हजार चार सौ रुपये मात्र) |                              |                         |

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ईकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40 -2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...6.7.12 पटना, दिनांक :- 30.08.23

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...6.7.12 पटना, दिनांक :- 30.08.23

प्रतिलिपि:- सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...~~6.7.12~~ पटना, दिनांक :- 30.08.23  
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

निर्देशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...~~6.7.12~~ पटना, दिनांक :- 30.08.23  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निर्देशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण